भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

06.08.2025 के

तारांकित प्रश्न सं. 247 का उत्तर

सामान्य डिब्बों के लिए अतिरिक्त टिकटों की बिक्री

***247. श्री दरोगा प्रसाद सरोज:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारतीय रेलगाड़ियों में लगे सामान्य डिब्बों में टिकट खरीदकर प्रतिदिन कितने यात्री यात्रा करते हैं;

(ख) क्या रेलवे के पास किसी रेलगाड़ी के सामान्य डिब्बों में उपलब्ध सीटों की संख्या की तुलना में अधिक संख्या में बेचे गए टिकटों का आँकड़ा प्रतिशत में उपलब्ध है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) शयनयान और वातानुकूलित डिब्बों में उपलब्ध सीटों की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत टिकट अधिक बेचे गए;

(ङ) क्या सरकार का शयनयान और वातानुकूलित डिब्बों में उपलब्ध सीटों की संख्या की तुलना में अधिक बेचे गए वेटिंग टिकटों के रद्द कराने के समय कटौती के रूप में एकत्रित की जा रही राशि में छूट देने का विचार है; और

(च) यदि हाँ, तो रेलवे को टिकट रद्द कराने के कारण प्रतिदिन कितनी आय हो रही है और प्रतिदिन रद्द किए जाने वाले टिकटों की संख्या कितनी है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 06.08.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 247 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): अनारक्षित टिकट रेलगाड़ी विशिष्ट नहीं होते हैं और यात्री उस श्रेणी के सवारी डिब्बे की उपलब्धता के अध्यधीन, निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उस गंतव्य तक जाने वाली किसी भी रेलगाड़ी में यात्रा कर सकते हैं। यह यात्रियों को उनकी सुविधानुसार गंतव्य तक जाने वाली किसी भी रेलगाड़ी के अनारक्षित सवारी डिब्बे में चढ़ने की सुविधा प्रदान करता है।

अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, रेलवे ने सामान्य श्रेणी में यात्रा के इच्छुक यात्रियों के लिए सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ही विभिन्न लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में 1250 सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बों का उपयोग किया गया है।

निम्न एवं मध्यम आय वाले परिवारों की यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए, भारतीय रेल ने अगले 5 वर्षों के लिए 17,000 अवातानुकूलित सवारी डिब्बों (सामान्य/शयनयान) का विनिर्माण शुरू किया है।

अवातानुकूलित सवारी डिब्बों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह सवारी डिब्बों की कुल संख्या का लगभग 70% है, जैसा नीचे दिया गया है:

सारणी 1: सवारी डिब्बों का वितरण:

अवातानुकूलित सवारी डिब्बे (सामान्य और शयनयान)	**लगभग 57,200**	**लगभग 70%**
वातानुकूलित सवारी डिब्बे	**लगभग 25,000**	**लगभग 30%**
कुल सवारी डिब्बे	**लगभग 82,200**	**100%**

सामान्य सवारी डिब्बों की अधिक उपलब्धता के कारण, सामान्य/अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि का रुझान देखा गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

सारणी 2: सामान्य/अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्री:

वर्ष	यात्रियों की संख्या
2020-21	99 करोड़ (कोविड वर्ष)
2021-22	275 करोड़ (कोविड वर्ष)
2022-23	553 करोड़
2023-24	609 करोड़
2024-25	651 करोड़

अवातानुकूलित यात्रियों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। इनकी वर्तमान संरचना इस प्रकार है:

सारणी 3: सीटों का वितरण:

अवातानुकूलित सीटें	लगभग 54 लाख	लगभग 78%
वातानुकूलित सीटें	लगभग 15 लाख	लगभग 22%
कुल	लगभग 69 लाख	100%

उपरोक्त आँकड़ों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि भारतीय रेल उन कम और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए प्रतिबद्ध है जो रेलवे को परिवहन के एक किफायती साधन के रूप में वरीयता देते हैं।

<u>अमृत भारत एक्सप्रेस:</u>

रेलवे ने अमृत भारत एक्सप्रेस नामक एक पूर्णतः अवातानुकूलित आधुनिक रेलगाड़ी विकसित की है। इस रेलगाड़ी की 14 सेवाएँ पहले से ही परिचालन में हैं। अमृत भारत सेवओं की वर्तमान सरंचना में 11 सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बे, 8 शयनयान श्रेणी के सवारी डिब्बे, 1 रसोई यान और 2 सामान-सह-दिव्यांगजन सवारी डिब्बे होते हैं।

उच्च गति और उन्नत संरक्षा मानक इन रेलगाड़ियों की पहचान हैं, जिसमें निम्नलिखित उन्नत विशेषताएं और सुविधाएं हैं:

i. **वंदे भारत स्लीपर के समान उन्नत रूप और अनुभव के साथ सीट और बर्थ का बेहतर सौंदर्यीकरण।**
ii. **झटका मुक्त सेमी-ऑटोमेटिक कपलर्स।**
iii. **क्रैश ट्यूब के प्रावधान से सवारी डिब्बों में बेहतर क्रैशवर्दीनैस।**
iv. **सभी सवारी डिब्बों और सामान कक्ष में सीसीटीवी प्रणाली का प्रावधान।**
v. **शौचालयों की बेहतर डिज़ाइन।**
vi. **बर्थ पर आसानी से चढ़ने के लिए सीढ़ी की बेहतर डिज़ाइन।**
vii. **बेहतर एलईडी लाइट फिटिंग और चार्जिंग सॉकेट।**
viii. **ईपी सहायता प्राप्त ब्रेकिंग प्रणाली का प्रावधान।**
ix. **शौचालयों और इलेक्ट्रिकल क्यूबिकल्स में एरोसोल आधारित अग्निशमन प्रणाली।**
x. **यूएसबी टाइप-ए और टाइप-सी मोबाइल चार्जिंग सॉकेट।**
xi. **यात्री और गार्ड/रेलगाड़ी प्रबंधक के बीच पारस्परिक संचार के लिए आपातकालीन टॉक-बैक प्रणाली।**
xii. **उन्नत तापन क्षमता वाला अवातानुकूलित रसोईयान।**
xiii. **आसानी से जोड़ने और अलग करने के लिए त्वरित निस्तारण तंत्र के साथ पूर्ण रूप से सीलबंद गैंगवे।**

अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का विकास, मेमू रेलगाड़ियों का निर्माण और सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बों की हिस्सेदारी में वृद्धि स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भारतीय रेल सामान्य श्रेणी में यात्रा की मांग को प्रभावी ढंग से पूरा कर रही है।

इसके अतिरिक्त, अनारक्षित स्थान प्राप्त करने के इच्छुक यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारतीय रेल द्वारा किफायती यात्रा के लिए अनारक्षित अवातानुकूलित यात्री गाड़ियों/मेमू/ईएमयू आदि का परिचालन किया जाता है, जो मेल/एक्सप्रेस सेवाओं में उपलब्ध अनारक्षित स्थान (सवारी डिब्बों) के अतिरिक्त हैं।

<u>मानक संरचना:</u>

सामान्य और अवातानुकूलित शयनयान सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अधिक स्थान उपलब्ध कराने हेतु, मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की संरचना के बारे में मौजूदा नीति में 22 सवारी डिब्बों की एक रेलगाड़ी में 12 (बारह) सामान्य श्रेणी व शयनयान श्रेणी के अवातानुकूलित सवारी डिब्बों और 08 (आठ) वातानुकूलित सवारी डिब्बों का प्रावधान किया गया है।
आरक्षित एकोमोडेशन के संबंध में, जारी किए गए आरक्षित टिकटों की संख्या उस सवारी डिब्बे की वहन क्षमता, प्रणाली में निर्धारित सवारी डिब्बे की रूपरेखा आदि पर निर्भर करती है।

इसके अलावा, आरक्षित सीटों की मांग का स्वरूप पूरे वर्ष एकसमान नहीं रहता है और यह कम व्यस्त और अधिक व्यस्त अवधि के दौरान बदलता रहता है। लोकप्रिय मार्गों और सुविधाजनक समय पर चलने वाली रेलगाड़ियों में सामान्यतः अधिक भीड़ होती है, बहरहाल, अन्य रेलगाड़ियों में सीटें सामान्यतः उपलब्ध होती हैं।

भारतीय रेल पर चलने वाली सभी रेलगाड़ियों की प्रतीक्षा सूची की स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए, भारतीय रेल परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन, स्थायी और अस्थायी दोनों आधार पर, यात्रियों के विभिन्न वर्गों के लिए अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराने हेतु स्पेशल रेलगाड़ी सेवाएँ भी परिचालित करती है और रेलगाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या भी बढ़ाती है।

रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराया वापसी) नियम 2015 के अनुसार प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों को रद्द करने पर लिपिकीय प्रभार वसूला जाता है। इसके अलावा, अग्रिम आरक्षण अवधि के दौरान कन्फर्म/आरएसी टिकटों के रद्द होने पर खाली होने वाली बर्थों के लिए प्रतीक्षा सूची वाले टिकट जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, प्रतीक्षा सूची वाले टिकटधारी यात्रियों के पास अपग्रेडेशन योजना के अंतर्गत अपग्रेडेशन कराने या विकल्प योजना के अंतर्गत वैकल्पिक रेलगाड़ी चुनने का विकल्प भी है।

टिकटों को रद्द करने पर जमा की गई राशि का अलग से विवरण नहीं रखा जाता है।
